

सिपाही भर्ती प्रक्रिया टली

एनआईसी नहीं तैयार कर सका सॉफ्टवेयर, लग सकता है दस दिन का समय

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में 51,216 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तैयारी धरी रह गई। बृहस्पतिवार से ऑनलाइन फार्म लिए जाने थे लेकिन त क नी की खामियों के चलते यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब इसमें दस दिन या उससे अधिक का समय लग सकता है। उधर, प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने दावा किया है कि फॉर्म भरने की तारीख भले ही आगे बढ़ गई हो लेकिन परीक्षा तय समय पर ही कराई जाएगी।

प्रमुख सचिव गृह का दावा, पूर्व निर्धारित समय पर कराएंगे परीक्षा

प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने किया था तारीखों का एलान

18 अक्टूबर को प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का एलान किया था। उन्होंने पूरा कार्यक्रम भी घोषित किया था। इसके तहत पहली नवंबर से सिपाहियों के 51,216 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे।



दो परीक्षा केंद्रों को काली सूची में डाला

जून में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले दो परीक्षा केंद्रों को गृह विभाग ने काली सूची में डाल दिया है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि 18 और 19 जून को हुई परीक्षा के दौरान प्रयागराज के गुरु माधव प्रसाद शुक्ला इंटर कॉलेज और एटा के पीपीएस कॉलेज में घोर लापरवाही बरती गई। द्वितीय पाली का प्रश्नपत्र प्रथम पाली में खोल दिया गया था। बाद में इसकी जांच कराई गई और द्वितीय पाली में हुई परीक्षा निरस्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

तैयार करने में एनआईसी को दिक्कत लगभग एक महीने से इसी माथापच्ची में

भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जीपी शर्मा ने बताया कि कुछ तकनीकी बजहों से सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म में समस्या है। जल्द ही इसे दूर कर लिया जाएगा। फिर बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर विस्तृत शेड्यूल अपलोड कर नई तिथि बताई जाएगी। इसमें कितना समय लगेगा, इस बाबत उन्होंने बताया कि एनआईसी जैसे ही हमें हरी झंडी देगा, विस्तृत कार्यक्रम जारी कर देंगे।

सूत्रों के अनुसार, अभ्यर्थियों को आयु वर्ग में छूट की कटआफ लिस्ट

आ रही है। बोर्ड के सामने परेशानी यह है कि उसने कोर्ट में वादा किया था कि 1 जुलाई 2017 को पात्र अभ्यर्थी को भी मौका दिया जाएगा। जबकि नियमावली में साफ है कि भर्ती का विज्ञापन जिस वर्ष निकाला गया है उस वर्ष की एक जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर भी उसी नियमावली के तहत बनाए गए थे लेकिन वह एक जुलाई 2017 के अभ्यर्थियों को पात्र मानने को तैयार नहीं है।

एनआईसी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर

लगे हैं। यही समस्या जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती के लिए भी आ रही है। इन दोनों पदों के लिए 2016 में निकली भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। कहा गया था कि उन्हें इन पदों के लिए निकलने वाली अगली भर्ती में मौका दिया जाएगा। इस नाते भी एनआईसी को ऑनलाइन फॉर्म तैयार करने और व्यवस्थित करने में दिक्कत आ रही है। भर्ती बोर्ड के सूत्र बताते हैं कि प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी, इस पर एनआईसी की ओर से हरी झंडी मिलने पर ही निर्णय किया जाएगा।